रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 235] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 11, 2018/चैत्र 21, 1940
No. 235] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 11, 2018/CHAITRA 21, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 363(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में नियम 5 के उप नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(3) प्रत्येक प्रमाण पत्र में शेयर जिससे यह संबंधित है और उस पर प्रदत्त राशि विनिर्दिष्ट की जाएगी और उस पर दो निदेशकों या यदि कंपनी ने कोई कंपनी सचिव नियुक्त किया है तो एक निदेशक और कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगे;

परंतु यदि कंपनी के पास कोई सामान्य मुहर है तो उसे प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अपेक्षित व्यक्तियों की उपस्थिति में लगाया जायेगा।

स्पष्टीकरण 1 : इस नियम के प्रयोजन के लिए, एक व्यक्ति कंपनी के मामले में, यदि किसी निदेशक और कंपनी सचिव या इस प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर किया जाता है, तो यह पर्याप्त होगा।

स्पष्टीकरण 2 : इन नियमों के प्रयोजन के लिए, किसी निदेशक द्वारा शेयर प्रमाण-पत्र उस स्थिति में हस्ताक्षरित समझा जाएगा, यदि उसपर किसी मशीन, उपस्कर या अन्य यांत्रिक माध्यम से अनुलिपि हस्ताक्षर मुद्रित किए गए हों, जैसे किसी धातु में उत्कीर्ण या लीथोग्राफी या अंकीय हस्ताक्षर किया गया हो, लेकिन रबर स्टैम्प को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा,

परंतु वह निदेशक अपने हस्ताक्षर करने की अनुमति के लिए और तद्नुसार इस प्रयोजन के लिए प्रयोग में लायी गई कोई मशीन, उपस्कर या अन्य सामग्री की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।"

[फा.सं. 01/04/2013-सीएल-V-भाग-III]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 265(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् नीचे दिये गये ब्यौरे के अनुसार अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किये गये थे :-

क्र. सं.	अधिसूचना संख्या	तारीख
	सा.का.नि. 413 (अ)	18.06.2014
	सा.का.नि. 210 (अ)	18.03.2015
	सा.का.नि. 439 (अ)	29.05.2015
	सा.का.नि. 841 (अ)	06.11.2015
	सा.का.नि. 290 (अ)	10.03.2016
	सा.का.नि. 358 (अ)	29.03.2016
	सा.का.नि. 704 (अ)	19.07.2016
	सा.का.नि. 791 (अ)	12.08.2016

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2018

G.S.R. 363(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, namely:—

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Companies (Share Capital and Debentures) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, in rule 5, for sub-rule (3) of, the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(3) Every certificate shall specify the shares to which it relates and the amount paid-up thereon and shall be signed by two directors or by a director and the company secretary, wherever the company has appointed company secretary:

Provided that in case the company has a common seal it shall be affixed in the presence of persons required to sign the certificate.

Explanation. - For the purposes of this sub-rule, it is hereby clarified that,-

(a) in case of an One Person Company, it shall be sufficient if the certificate is signed by a director and the company secretary or any other person authorised by the Board for the purpose.

(b) a director shall be deemed to have signed the share certificate if his signature is printed thereon as facsimile signature by means of any machine, equipment or other mechanical means such as engraving in metal or lithography or digitally signed, but not by means of rubber stamp, provided that the director shall be personally responsible for permitting the affixation of his signature thus and the safe custody of any machine, equipment or other material used for the purpose."

[F. No. 01/04/2013-CL-V- Part-III]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, S

ub-section (i) *vide* number G.S.R. 265(E), dated 31st March, 2014 and subsequently amended *vide* notifications as detailed below:-

Sl. No.	Notification number	Date
1.	G.S.R. 413 (E)	18.06.2014
2.	G.S.R. 210 (E)	18.03.2015
3.	G.S.R. 439 (E)	29.05.2015
4.	G.S.R. 841 (E)	06.11.2015
5.	G.S.R. 290 (E)	10.03.2016
6.	G.S.R. 358 (E)	29.03.2016
7.	G.S.R. 704 (E)	19.07.2016
8.	G.S.R. 791 (E)	12.08.2016

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.04.11 19:32:26 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.